

कार्यालय- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति अनुरूप शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत वैक्सीनेटर कार्मिकों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

वैक्सीनेटर कार्मिकों का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री विनोद सिंह पुण्डीर	रा०प०चि०, देवाल, चमोली	रा० प० चि० कर्णप्रयाग, चमोली	निजि अनुरोध
02	श्री ओम प्रकाश	रा०प०चि० मंगलौर हरिद्वार	रा० प० चि० रायपुर, देहरादून	निजि अनुरोध

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 1220

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/स्थाना०-वैक्सीनेटर/2022-23 दिनांक 09.07.2022
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
 - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून, चमोली, हरिद्वार।
 - 5- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 6- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।